साम्प्रदायिक हिंसा और स्थानीय नौकरशाही मुजफ्फरनगर दंगे के संदर्भ में

शिवकुमार

शोध छात्र, राजनीतिक विज्ञान विभाग

चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Email : polshivmeena@gmail.com

Reference to this paper should be made as follows:

Received: 28.08.2019
Approved: 24.09.2019

शिवकुमार

साम्प्रदायिक हिंसा और स्थानीय नौकरशाही मुजफ्फरनगर दंगे के संदर्भ में

RJPP 2019,
Vol. XVII, No. 2,
pp.67-73
Article No. 10

***Online available at** :*
http://
rjpp.anubooks.com/

सारांश

साम्प्रदायिक एक जटिल अवधारणा है जिसके कारणों एवं उत्पत्ति एवं विश्लेषण भी जटिल हैं चूँकि सम्प्रदायिकता यथार्थ की आंशिक दृष्टि नही थी जो केवल साम्प्रदायिक पक्ष को देखती थी, राष्ट्रीय पक्ष को नहीं क्योंकि यथार्थ का कोई साम्प्रदायिक पक्ष था ही नहीं। यह तो यर्थाथ को देखने का गलत दृष्टिकोण था, किन्तु हिन्दू मुस्लिम विरोध का कोई यथार्थ आधार न होने के कारण साम्प्रदायिकता का यथार्थ कारण नहीं था।

प्रस्तावना

यह सच है कि भारत में मुगलों में पूर्व शक, हूण, कुषाण, मंगोल और गजनी आक्रांता आये थे, जिन्होने देश के धन को भरपूर लूटा, सामुहिक कत्लेआम किये और स्त्री पुरूषों को दास–दासियाँ बनाकर अरबस्तान ले गये। ये आक्रांता आये और चले गये जब मुगल आये तो वापिस नहीं गये थे। यह निकृष्ट आक्रांता नहीं कहता है।

मध्यकाल में जब मुस्लिम भारत आये तो वह यहाँ से वापिस नहीं गये। उस समय पर भी साम्प्रदायिक हिंसा की कोई ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती हैं।

साम्प्रदायिक हिंसा के प्रमुख कारकों में धर्म अनिवार्य तत्व हैं। धर्म में भावना का पुट होता है और यह व्यक्ति के जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करता हैं। मार्क्स ने धर्म के प्रभाव के आकलन से यह निश्कर्श दिया था कि ''धर्म जनता के लिये अफीम है।'' भारत के दो प्रमुख समुदाय हिन्दू और मुस्लमानों का धर्म अपने व्यवहारों एवं सिद्धान्तों के रूप में विरोधी प्रतीत होता है। अतः इसके आधार पर भावनाओं को उग्र रूप देना सरल होता है। गांधी जी धर्म के इस महत्व को पहचानते थे तभी उन्होने तुर्की में उठे खिलाफत मुद्दे को स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिये उपयोग करना चाहा और किया लेकिन सभी विद्वान इस बात पर एकमत हैं कि धर्म साम्प्रदायिकता का कारण नहीं है जैसा कि **भारत एक खोज में जवाहर लाल नेहरू ने माना है, ''साम्प्रदायिक झगड़ों का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं हैं हालांकि धर्म इन मुद्दो का बहाना बन जाता है।''** और साम्प्रदायिकता को भी धर्म में कोई खास दिलचस्पी या उससे लेना नहीं है मगर यह भी सच है कि धार्मिक मतभेदों को साम्प्रदायिक अपनी राजनीति के लिये इस्तेमाल करते हैं और धर्म से राजनीतिक हित साधते हैं। इसके अलावा धर्म से उनका कोई रिस्ता नहीं है। पूर्व प्रधानमन्त्री इन्द्रकुमार गुजराल भी मानते हैं लोगों को यह बताने का जरूरत नहीं है कि धार्मिक रिवाजों का पालन साम्प्रदायिक नहीं है लेकिन राजनीति के हथियार के रूप में धर्म का उपयोग निष्चत ही साम्प्रदायिकता है। व्यक्तिगत स्तर पर आत्मिक अनुभव साम्प्रदायिकता हैं।

प्रत्येक प्रथा जो रूढ़िवाद और फूटपरस्ती को बढ़ावा दे, वह निश्चित तौर पर साम्प्रदायिक है। प्रत्येक धार्मिक व्यक्ति साम्प्रदायिक नही होता, मगर प्रत्येक साम्प्रदायिक व्यक्ति धर्म का चोला जरूर पहनता है। मुश्किल इस बात की है कि वे लोग भी जो अपने को धार्मिक कहते हैं वह भी यह बताने में असमर्थ हैं कि कहीं धार्मिकता समाप्त होती है और साम्प्रदायिकता षुरू होती है। साम्प्रदायिक षक्तियाँ इसी अभेद दिखाने वाले स्वरूप को अपनेलिये इस्तेमाल करती हैं क्योंकि धर्म साम्प्रदायिकता का मूल कारण नहीं हैं, यह केवल औजार है। साम्प्रदायिकता के मूल में राजनीति है। यह एक आधुनिक परिघटना है जो दो प्रमुख सम्प्रदायों के अभिजात वर्ग के बीच राजनीतिक सत्ता और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के कारण पैदा हुई।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन में साम्प्रदायिकता के विकास के लिये ब्रिटिश शासन की ''फूट डालो व राज्य करो'' की नीति उत्तरदायी मानी जाती है। जिसके अन्तर्गत 1857 में अंग्रेजों के विरूद्ध प्रथम स्वाधीनता संघर्ष के पश्चात् अंग्रेजों ने मुस्लमानों के प्रति अत्यन्त कठोर भेदभावपूर्ण नीति को अपनाया। क्योंकि 1857 की इस घटना के लिये अंग्रेजों ने मुस्लमानों को

उत्तरदायी ठहराया। जब 1883 ई0 में वायसराय कार्यकारिणी परिषद् में पहली बार स्थानीय स्वशासन बिल प्रस्तुत किया गया तो आधुनिक मुस्लिम सुधारक सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। इस विरोध का आधार दो सम्प्रदायों के बीच नगरपालिकाओं में सीटो के आवंटन को लेकर था।

यह विरोध ही साम्प्रदायिकता का बीज रूप सिद्ध हुआ। स्वशासन बिल के इस सीमित लोकतान्कि पहलकदमी ने विभिन्न जातियों और समुदायों के अभिजात वर्ग के बीच द्वन्द उत्पन्न कर दिया। मुस्लिम शुराफा (अभिजात) का प्रतिनिधित्व करने वाले सर सैयद ने इस द्वन्द्व को समझा और विधान परिषद में बिना किसी लाग लपेट के व्यक्त किया। लेकिन उनकी यह आशंकाएं व्यक्तिगत नहीं थी बल्कि अल्पसंख्क सम्प्रदाय के अभिजात वर्ग की थी। अल्पसंख्यकों को हमेशा यह आशंका रहती थी, जो कुछ स्वाभाविक भी हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के प्रभुत्व में उन्हें एक ओर सत्ता में उचित हिंसा नहीं मिलेगा और दूसरी ओर उनकी धार्मिक सांस्कृतिक परम्पराएं हमले का शिकार होगी। बहुसंख्यक समुदाय उन पर अपनी संस्कृति थोपेगा। यही आषंका अन्ततः पाकिस्तान निर्माण का कारण बनी। यह साम्प्रदायिकता की उत्पत्ति का प्रारम्भिक आधार बनी। जो आगामी वर्शों में और प्रभावी होकर उभरी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर सदैव यह द्वन्द्व बना रहा जिसे अंग्रेज सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर प्रोत्साहित करती रही। कालान्तर में प्रत्येक लोकतान्त्रिक सुधारों एवं चुनावों में यह द्वन्द्व मजबूत होता गया जिसकी राजनीति आगे चलकर मुस्लिम लीग एवं मुहम्मद अली जिन्ना ने की।

कालान्तर में ब्रिटिष षासन ने अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए मुस्लमानों के संरक्षण को बढ़ावा दिया। अंग्रेजों ने हिन्दुओं के साथ भेदभाव करना आरम्भ किया। 80 के दशक में कांग्रेस का विकास हुआ। इस घटना से ब्रिटिश शासन राष्ट्रवाद की पनपती विचार से अत्यंत सतर्क हो गये। दूसरी ओर अलीगढ़ स्कूल ने अंग्रेजों को मुस्लमानों को हितेषी कहा और उन्हें कांग्रेस में शामिल होने से मना किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को हिन्दू एवं मुख्य रूप में एक ब्राह्मणवाद संगठन कहा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के समय मुख्य रूप से सामंतो व जमींदारी की संस्था थी व बंगाल विभाजन के परिपेक्ष्य में भारत में गरमपंथी राष्ट्रवादियों करने के लिये अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का प्रयोग किया।

1909 में मार्ले मिन्टो सुधार के द्वारा साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को स्वीकारते हुए ब्रिटिश शासन ने भारत में साम्प्रदायिकता को वैधानिक रूप दे दिया और आवश्यकता से अधिक प्रतिनिधित्व दिया। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर अलगाववाद आसैर वैमनस्यता का यह कृत्य अंग्रेजी सरकार ने सिक्खों को 1919 ई0 में 1935 ई0 में हरिजनो, भारतीय ईसाईयों, यूरोपीय तथा एग्लों इण्डियन के साथ भी करती रही। 1935 के अधिनियम में तो साम्प्रदायिक तथा अन्य वर्गों प्रतिनिधित्व दिया गया। अधिनियम के मतदाता मंडल साम्प्रदायिक निर्णय तथा पूना समझौते के अनुसार नियत किये गये। इसके परिणाम दूरगामी हुए। इस अधिनियम के प्रति कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने असंतोष प्रकट किया। कांग्रेस साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर असंतुष्ट थी और जिन्ना मुस्लिम हितों की अनदेखी का आरोप लगा रहे थे। बंगाल के मुख्यमन्त्री अफजल

उल–हक ने कहा था कि न तो यह हिन्दू राज्य है न ही यह मुस्लिम राज्य हैं इस अधिनियम ने साम्प्रदायिकता के आधार को मजबूत किया जिसकी भयानक परिणति साम्प्रदायिक दंगों एवं देश विभाजन में हुई।

मुजफ्फरनगर में हुई साम्प्रदायिक हिंसा में स्थानीय नौकर शाही की भूमिका

शोध प्रबन्ध का बिन्दु उसका सार होता है। साम्प्रदायिकता एक ऐसी स्थिति है जो दो या दो से अधिक गुटों में आपसी हितों को प्राप्त करने में संघर्श को उत्पन्न करती है। यह विचार धारा संघर्ष का परिणाम है, जो समाज को विघटित करने में वृद्धि करता है। तथा देश की राष्ट्रीयता को समाप्त करने की उग्र स्थिति है। साम्प्रदायिकता देश की अस्मिता के लिये बड़ी चुनौती बन चुकी है तथा साम्प्रदायिकता देश की राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिरता प्रदान करती है। यह देश की अखण्डता के समक्ष पाकिस्तान है।

शोध ग्रन्थ के अन्तिम पड़ाव निष्कर्ष के अन्तर्गत प्राप्त शोध परिणामों के सार को संक्षिप्त एवं सारगर्भित रूप मे प्रस्तुत किया गया है शोध का उद्देश्य साम्प्रदायिक हिंसा में स्थानीय नौकरशाही की भूमिका मुजफ्फरनगर क्षेत्र के सन्दर्भ में एक अध्ययन, मिला मुफ्फरनगर के गाँव कवाल गाँव के सन्दर्भ में का निष्कर्ष निकाला गया कि भारत वर्ष में साम्प्रदायिक तनाव/हिंसा का एक प्रमुख कारण राजनीति है। 81 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया है कि साम्प्रदायिक हिंसा राजनीतिक भेदभाव के कारण इसको बढावा मिलता है। जनपद मुजफ्फनगर में साम्प्रदायिक हिंसा के उद्भव की मुख्य वजह धार्मिक वर्चस्व रही। लगभग 61 प्रतिशत लोग यह मानते है कि साम्प्रदायिक हिंसा की घटनाएं अपने–अपने धर्म का वर्चस्व स्थापित करने के लिये समय–समय पर घटित होती रहती हैं। 57 प्रतिशत लोगों ने बताया कि मुजफ्फरनगर हिंसा में पुलिस/प्रशासन की भूमिका नकारात्मक रही। पुलिस प्रशासन ने उन लोगों की गिरफ्तारियाँ की जो बेगुनाह थे और अपराधियों को छोड़ दिया गया। 52 प्रतिशत लोगो ंने बताया कि पुलिस प्रशासन ने हिंसा को रोकने के लिये जो कार्यवाही की उसमें पुलिस प्रशासन की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। उचित कार्यवाही के अभाव व किसी ठोस रणनीति के न होने के कारण हिंसा दिन–प्रतिदिन अपने उग्र रूप में बढती गयी। 61 प्रतिशत लोगों ने बताया कि साम्प्रदायिक हिंसा के क्षेत्र में अफवाहे फैली थी। 72 प्रतिशत लोगों ने बताया कि हिंसा के समय अफवाहों का बाजार गर्म रहा। कभी मौत की अफवाहें तो कहीं गोलीबारी की कहीं मारपीट की अफवाहं फैलती रही जिसके कारण लोगों ने भय व्याप्त रहा। लोग सारी–सारी रात सो नहीं पाये कि कहीं से कोई बुरी खबर ने सुनने को मिले या किसी के साथ कोई अनहोनी न हो जाये। पुलिस प्रशासन इन उफवाहों पर लगाम कसने में नाकाम रही। 61 प्रतिशत लोगों ने बताया कि अफवाहें फैलने के कारण बाजार बन्द गये चारों तरफ भगदड़ मचने लगी और लोगों में तनाव उत्पन्न हो गया। 53 प्रतिशत लोगों ने बताया कि वह साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में नौकरशाही के कार्यों से असंतुष्ट थे। क्योंकि पुलिस/प्रशासन के द्वारा जा कार्यवाही की गयी वह उपयुक्त नहीं थी। पुलिस/प्रशासन की अकुशलता के कारण उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसके कारण उनका कामकाज ठप रहा खान–पान, शिक्षा से सम्बन्धित अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ा 71 प्रतिशत लोगों ने

बताया कि साम्प्रदायिक हिंसा में मीडिया की भूमिका नकारात्मक थी। क्योंकि मीडिया ने घटनाओं को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया और लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगर मीडिया इन घटनाओं को इतना मूल न देती तो साम्प्रदायिक हिंसा की आग इतनी बलबती न होती। पुलिस प्रशासन की अकुशलता का परिणाम था कि जिला मुजफ्फरनगर में अखबारों के वितरण पर रोक लगा दी गयी। 64 प्रतिशत लोगों ने बताया कि अखबार बन्द कराने की वजह से लोगों में सही जानकारी का अभाव रहा और वह घटनाओं से अनभिज्ञ रहे, जिसकी वजय से सम्प्रेषण का अभाव रहा। 80 प्रतिशत लोगों ने बताया कि साम्प्रदायिक हिंसा में राजनीतिक दलों की भूमिका रही तथा 68 प्रतिशत लोगों के अनुसार साम्प्रदायिक हिंसा में राजनीतिक दलों की भूमिका नकारात्मक थी। राजनीतिक दलो ंने हिंसा को रोकने के बजाय अपने भड़काऊ भाषणों के द्वारा आग में घी का काम किया। 56 प्रतिशत लोगों ने बताया कि राजनीतिक दलों ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कार्य। प्रयास नहीं किये थे। राजनीतिक दल हिंसा के क्षेत्र में जाकर वोट की राजनीति खेलते रहे। और साम्प्रदायिकता को भड़काते रहे। 53 प्रतिशत लोगों ने स्वीकार किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से साम्प्रदायिक हिंसा को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि राजनीतिक दल जन भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। 55 प्रतिशत प्रतिशत लोगों ने बताया कि शासन द्वारा राहत शिविरों में जो मद्द की गयी वह केवल नाममात्र की ही थी। न तो लोगों को भरपेट खाना मिला और न ही वस्त्र सम्बन्धी कोई सहायता ही मिली। शिविरों में छोटे–2 बच्चे दूध के लिये तरसते रहे। 73 प्रतिशत लोगोंने बताया कि जो लोग राहत शिविरों में गये थे वह अपने–अपने घर वापिस आ चुके हैं। कुछ लोग अभी भी राहत शिविरों में है। 67 प्रतिशत लोगों ने बताया कि शासन के द्वारा घोषणाऐं की गयी थी वह पूरी नहीं की गयी। शासन के द्वारा जो मुआवजा देने की बात की गयी वह अभी तक लोगों को नहीं मिल पाया है। 75 प्रतिशत लोगोंने बताया कि लोगों ने दोनो सम्प्रदायों के मध्य आपसी सौहार्द्ध बनाये रखने की कामना की। 82 प्रतिशत लोगोंने बताया कि आपसी सौहार्द्ध बनाये रखने के लिये लोगों ने जनसभाऐं की और लोगों से शान्ति बनाये रखने की अपील की तथा अमन के लिये दुआऐं मांगी। 81 प्रतिशत लोगों ने बताया कि साम्प्रदायिक दंगे के कारण आज भी लोगों के मन में भय व्याप्त है। दोनों सम्प्रदाय एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। तथा एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। 72 प्रतिशत लोगो के अनुसार लोगों में हमेशा जानमाल का खतरा तथा लड़ाई झगड़े का और अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा भय बना रहता है। 85 प्रतिशत लोगों को मानना है कि पुलिस/प्रशासन यदि अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाया तो इस घटना को रोका जा सकता था। 78 प्रतिशत लोगों के अनुसार पुलिस/प्रशासन के द्वारा समय पर कार्यवाही करके उचित निर्देश व नियन्त्रण के द्वारा ठोस रणनीति बनाकर इस घटना को आगे बढ़ने से रोका जा सकता था। पुलिस प्रशासन की अदूरदर्शिता एवं किसी उचित रणनीति के अभाव में दंगे की आग इतनी फैल गयी कि उसने समस्त पश्चिमी उत्तर–प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया। अगर पुलिस/प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सही प्रकार से निभाता तो पुलिस/ प्रशासन के पास इतनी शक्ति होती है कि वह हिंसा को बढने से पहले ही रोक देता।

मुजफ्फरनगर हिंसा की शुरूआत एक लड़की के साथ छेड़छाड़ को लेकर विवाद में तीन लड़कों की हत्या से हुई। और इस घटना ने इतना उग्र रूप धारणा कर लिया कि इस घटना ने गांव से लेकर पूरा जिला/मुजफ्फरनगर यहाँ तक कि पूरा पश्चिमी उ0प्र0 को अपने प्रभाव में ले लिया। इस घटना से साम्प्रदायिक हिंसा भड़क सकती है, इसका अंदाजा सरकार और प्रशासन को था और उसे रोकने के लिये सरकारी तन्त्र के पास पर्याप्त समय भी था। प्रशासन की अदूरदर्शिता एवं राजनीतिक दलों की भूमिका व मीडिया की भूमिका एवं पुलिस की एक तरफा कार्यवाही से हिंसा ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया। परन्तु ऐसा लगता है जानते–बूझते हिंसा को भड़काने से रोकने की कोशिश नहीं की गयी। क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी अधिकारियों ने कानून का उल्लंघन करते हुये, एक लाख से अधिक लोगों की महापंचायत का आयोजन होने दिया। अगर इस महापंचायत को होने से रोक दिया जाता तो इस घटना को बढ़ने से रोका जा सकता था। अगर पुलिस/प्रशासन सही समय पर उचित कार्यवाही करता। अगर धारा 144 लागू की गयी होती तो मुजफ्फरनगर में हालात ने बिगड़ते शहर कोतवाल से हमें यह भी पता लगा कि भड़काऊ भाषण देने वालों में बड़े नेता थे लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई। अगर पुलिस/प्रशासन ऐसे लोग जो साम्प्रदायिक हिसा को बढ़ावा दे रहें थे उन पर लगाम लगाते और निष्पक्ष कार्यवाही करते तो इस हिंसा को रोका जा सकता था। मुजफ्फरनगर साम्प्रदायिक हिंसा में मीडिया की भूमिका बहुत नकारात्मक रही यदि मीडिया उन घटनाओं का बढ़ा–चुढ़ा कर जनता के सामने पेश नहीं करती तो दंगों का रोकने में काफी सहायता मिलती। मीडिया जन भावनाओं को भड़काने का काम किया जिससे घटना को तूल मिला। अगर मीडिया सही जानकारी लोगों को उपलब्ध कराती तो साम्प्रदायिक हिंसा को आगे बडने से रोका जा सकता था, और हालातों पर काबु पाया जा सकता था।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. विपिन चन्द्र, *आधुनिक भारत में साम्प्रदायिकता*।
2. एस0एम0 चाँद, *''स्वाधीनता संघर्ष और साम्प्रदायिक फासिज्य'*, पृ0–**134**
3. असगल अली इंजीनियर, *''भारत में साम्प्रदायिकता इतिहास और अनुभव''*, पृ0–**45–46**
4. राजेश मिश्रा *''राजनीति विज्ञान''* सरस्वती आई0ए0एस0 नई दिल्ली, पृ0–**442,** सन् 2013
5. पूर्वोक्त, पृ0–**47**
6. असगल अली इंजीनियर, *भारत में साम्प्रदायिकता इतिहास और अनुभव*, पृ0–**48**
7. राम अलखन शुक्ल, *''सं0 आधुनिक भारत का इतिहास'*, पृ0–**775**
8. राजेश मिश्रा, *''राजनीति विज्ञान''* सरस्वती आई0ए0एस0 नई दिल्ली, सन् 2013
9. बी0एल0 ग्रोवर, *''आधुनिक भारत का इतिहास'* पृ0– **386, 404, 405**
10. डॉ0 हरिशचन्द्र शर्मा, *''विश्वभारती पब्लिकेशन'',* पृ0–**188**, सन् 2008
11. पूर्वोक्त

12. j keÑi ky pkSj h] *आधुनिक लोकप्रशासन* मयूर पेर बैक नई दिल्ली, 2004 पृ0–**284**
13. उपरोक्त
14. ए0पी0एस0 चौहान सत्येन्द्र सिंह ''मध्यप्रदेश में स्थानीय स्वशासन'', वाई0के0 पब्लिशर्स पृ0 **1**, सन् 2004
15. डॉ0 बी0एल फड़िया, डॉ0 पुखराज जैन ''*भारतीय शासन एवं राजनीति*'' साहित्य भवन आगरा, सन् 1990 पृ0 नं0 **705**
16. एस0एम0 चॉद, *''स्वाधीनता संघर्ष और साम्प्रदायिक फासिज्य'*, पृ0–**134**
17. असगल अली इंजीनियर, *''भारत में साम्प्रदायिकता इतिहास और अनुभव'*, पृ0–**45–46**
18. राजेष मिश्रा ''*राजनीति विज्ञान'' सरस्वती आई0ए0एस0'* नई दिल्ली, पृ0–**422**, सन् 2013
19. राम लखन शुक्ल, ''*सं0 आधुनिक भारत का इतिहास'* पृ0–**775**